

नेट न्यूट्रैलिटि के नयिमों को मल्लि मंजूरी, बनी रहेगी इंटरनेट की आज़ादी

चर्चा में कयों?

हाल ही में सरकार ने भारत में नरिबाध तथा मुफ्त इंटरनेट सुवधि सुनश्चिति करने के लयि कदम उठाते हुए नेट न्यूट्रैलिटि के नयिमों को मंजूरी दे दी है।

परमुख बदि

- इस प्रस्ताव के अंतर्गत नयिमों का उल्लंघन करने या इंटरनेट सुवधि उपलब्ध कराने के मामले में कसिी भी तरह के भेदभाव के लयि दंड का प्रावधान कयिा गया है।
- इसका तात्पर्य यह है ककिोई भी मोबाइल ऑपरेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता या सोशल मीडिया कंपनी सामग्री उपलब्ध कराने से लेकर इंटरनेट की स्पीड से संबंधित मामले में कसिी पसंदीदा वेबसाइट को महत्त्व नहीं दे पाएंगी।
- कंपनयिों कसिी भी सामग्री को ब्लॉक करने, धीमा या अधमिान्य गति प्रदान करने जैसे कार्य नहीं कर पाएंगी।
- यह फैसला मोबाइल ऑपरेटरो, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया कंपनयिों सब पर लागू होगा।
- दूरसंचार आयोग (दूरसंचार वभिाग में उच्चतम नरिणय लेने वाला नकियाय) ने भारतीय दूरसंचार नयिामक प्राधकिरण (TRAI) द्वारा आठ माह पहले सुझाए गए नेट न्यूट्रैलिटि नयिमों को मंजूरी दी है।
- कुछ उभरती और महत्त्वपूर्ण सेवाओं को इन मानदंडों के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है।
- इन महत्त्वपूर्ण सेवाओं की जाँच करने के लयि दूरसंचार वभिाग (Department of Telecom-DoT) के तहत एक अलग समितिकी स्थापना की गई है। इनमें स्वायत्त वाहन, डिजिटल हेल्थकेयर सेवाएँ या आपदा प्रबंधन आदि शामिल हो सकते हैं।

नेट न्यूट्रैलिटि क्या है?

- यह शब्द कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक टमि वू द्वारा 2003 में प्रथम बार उपयोग कयिा गया था।
- नेट न्यूट्रैलिटि (इंटरनेट तटस्थता) वो सदिधांत है जसिके तहत माना जाता है ककि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनयिों इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी।
- इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली इन कंपनयिों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। इन कंपनयिों को डाटा के लयि अलग-अलग कीमतें नहीं लेनी चाहिये चाहे वह डाटा भनिन वेबसाइटों पर वजिति करने के लयि हो या फरि अन्य सेवाओं के लयि।